

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥
बुधवार 29 अगस्त, 2001/ भाद्रपद 8, 1923 ॥ शक ॥

संख्या : 163

सदस्यों की नजरबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को थाना आई. पी. इस्टेट दिल्ली, का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य सर्व श्री हरशरण सिंह अल्ली, ब्रह्म सिंह तंवर व श्री अविनाश साहनी को 10.08.2001 को 1220 बजे दिल्ली पुलिस के अधिनियम 1978 की धारा-65 के अंतर्गत पुलिस के विधि संमत निर्देशों को अज्ञात करने के कारण नजरबन्द किया गया ।

उन्हें वहीं से उसी दिन अर्थात् 10.08.2001 को 1300 बजे रिहा कर दिया गया ।"

सिद्धार्थ राव
कार्य वाहक सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETION PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Wednesday 29, August, 2001/Bhadrapad 8, 1923(Saka)

No.163

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from P.S., I.P. Estate, Delhi.

"I have the honour to inform you that S/Sh. Harsharan Singh Balli, Brahm Singh Tanwar & Avinash Sahni MLAs were detained u/s 65 of Delhi Police Act 1978 for disobeying the lawful direction of Police at 1220 hrs on 10th August, 2001.

They were released at 1300 hrs from the same place on the same day i.e 10.8.2001."

SIDDHARATH RAO
OFFICIATING SECRETARY